राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/20	1102/2017 बाबूलाल / मोहनलाल	

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | इस न्यायालय के समक्ष यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31/05/2017 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15/12/2017 को प्रस्तुत हुई है, जो मियाद बाहर प्रस्तुत होने से अपील के साथ दफा-5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ | चूँकी प्रकरण में मियाद का बिन्दु विधमान है | अत: अपील में मूलतः प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद पर बहस समायत की गयी |

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड पर लिये जाने क्रेतागण हेतु वाद लम्बित था जिससे प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील की जानकारी नही हो सकी, जो प्रथम बार दिनांक 17/11/2017 को पटवारी हल्का के मौके पर आने पर हुई | जिससे नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है | अत: प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार फरमाया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जावे | साथ ही अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रकरण के गुणावगुण पर भी बहस की एवं हमारा ध्यान पक्षकारान के सजरा खानदान की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रशनगत आराजी उनके पूर्वज लादू के खाते की आराजीयात रही एवं उसके ईन्तकाल के पश्चात लादू की बेवा रामा एवं उसके दौ पुत्र मांगीलाल व मोहन के नाम लगी | मांगीलाल के चार पुत्र जिसमे तीन पुत्र वादीगण/अपीलान्ट्स एवं एक पुत्र नानगराम प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स है | प्रतिवादी मांगीलाल के पुत्र नानगा ने मांगीलाल के विरुद्ध उसके जीवनकाल में ही उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपने हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवा ली | चूँकि प्रतिवादी मांगीलाल के नाम विरासत के आधार पर जो आराजीयात लगी थी उसको वह बैचान करने पर आमदा थी जबकी प्रशनगत आराजी में वादीगण/अपीलान्ट्स का भी अधिकार निहित था इसलिये वादीगण/अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के सगक्ष तकासमाँ एवं घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री तो कर दिया गया किन्तु चूँकि दौराने वाद प्रतिवादी मांगीलाल द्वारा प्रशनगत आराजी का बैचान अन्य व्यक्तियो को कर दिया गया था जिन्हें वाद में पक्षकार समायोजित किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया गया है | अत: यह अपील इसलिये इस न्यायालय के समक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत की गयी है कि क्रेतागण को वाद में पक्षकार समायोजित किया जाकर पुन: विधिसम्वत निर्णय पारित किया जावे |

अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पो. ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 31/05/2017 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय जैर अपील पारित किया गया है वह वादी/अपीलाट्स की उपस्थिति में पारित किया गया है जिससे स्पष्ट रूप से दिनांक निर्णय जैर अपील को ही निर्णय जैर अपील की जानकारी वादीगण/अपीलाट्स को थी किन्तु अपील समायावधि में प्रस्तुत नही की गयी है | दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र में जो वजह जानकारी अंकित की गयी है वह एक कहानी मात्र है जिसका लाभ प्रार्थी/अपीलाट्स को नही दिया जाना चाहिये एवं अपील मियाद बाहर होने से ख़ारिज की जानी चाहिये | इसके अतिरिक्त अभिभाषक रेस्पो. ने बहस में निवेदन किया कि जहाँ तक क्रेतागण को पक्षकार वाद बनाने का प्रशन है, प्रतिवादी मांगीलाल द्वारा वाद के लम्बित रहते हुये प्रशनगत आराजी का बैचान किया गया है अत: ऐसे बैचान पर लीस पेडेन्सी का सिद्वांत लागू होता है, ऐसे बैचान का कोई महत्व नही होने का क्रेतागण आवश्यक पक्षकार वाद नही रहते | अत: अपील अपीलार्थी सारहीन होने से ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | मियाद के बिन्दु पर निर्णय जैर अपील के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पक्षकारान निरन्तर वाद में उपस्थित होते रहे है | आदेशिका निर्णय दिनांक में भी पक्षकारान की उपस्थिति दर्ज है , जिससे प्रार्थी/अपीलाट्स द्वारा प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद में यह अंकित किया जाना कि उन्हें निणर्य जैर अपील की जानकारी प्रथमबार दिनांक 17/11/2017 को हुई निरर्थक सिद्द होता है एवं अपील स्पष्ट रूप से गियाद बाहर प्रस्तुत हुई है | इसके अतिरिक्त अपील इस न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गयी है जिसका वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है | अपील के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा अनुतोष यह चाहा गया है कि वाद में क्रेतागण को पक्षकार नही बनाया गया है, इसलिये निर्णय जैर अपील निरस्त फरमाया जावे जबकी इस हेतु अपील मात्र क्रेतागण ही ला सकते थे | अत: अपील अपीलार्थी अन्यथा भी संधारण योग्य नही रहती |

अत: अपील अपीलार्थी उपरोक्त विवेचन के आधार पर बाहर प्रस्तुत होने से एवं अन्यथा भी संधारण योग्य नही रहने से ख़ारिज की जाती है |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	